महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं -

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	देय लाभ/सुविधाएं
1.	पूरक पोषाहार	परियोजना में संचालित 150 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है।	प्रत्येक गुरूवार को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित पोषाहार निम्नानुसार वितरण किया जाता है- (1) 0 से 3 वर्ष के बच्चों को 125 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से सप्ताह का 750 ग्राम केन्द्र पर उपस्थित बच्चों को प्रतिदिन गरम पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है। (2) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 155 ग्राम प्रतिदिन प्रति गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सप्ताह का 930 ग्राम पोषाहार का वितरण किया जाता है। (3) 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार में वार अनुसार खिचडी, दलिया, मुरमुरे तथा गुड व चना एवं बेबी मिक्स (हलवा) वितरण किया जाता हैं। (4) 11 से 18 वर्ष की विद्यालय नही जाने वाली किशोरी बालिकाओं को आंगनवाडी केन्द्रों पर स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है एवं 2 बालिकाओं को पूरक पोषाहार बेबी मिक्स दिया जाता है।
2.	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनवाडी केन्द्रो पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है।	आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों को विभिन्न चार्ट यथा वर्णमाला, गिनती, पशु, पक्षी, फल, सब्जी आदि के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है।
3.	स्वयं सहायता समूह	स्थानीय ग्राम की 10-12 महिलाओं के समूह द्वारा एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाकर प्रतिमाह सभी सदस्यों से एक नियत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा करवाकर बचत कराई जाती है। इन समूहो को बैंको द्वारा कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है एवं सरकार द्वारा एक नियत सीमा तक ब्याज का पुनर्भरण भी किया जाता है।	वर्तमान में इन समूहो द्वारा पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) पैकेटो में तैयार कर आंगनवाडी केन्द्रों पर साप्ताहिक आपूर्ति की जाती है एवं प्रतिदिन आंगनवाडी केन्द्रों के 3-6 वर्ष के बच्चो के लिए गरम पूरक पोषाहार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो हेतु भी ऋण दिया जाता है।
4.	नन्द घर योजना	किसी भी स्वयं सेवी संस्था / दानदाता/ कॉर्पोरेट द्वारा एक आंगनवाडी केन्द्र को 5 वर्ष के लिए गोद लेकर उसको एक आदर्श केन्द्र के रूप में बनाने का कार्य किया जा रहा है।	स्थानीय दानदाता/संस्था द्वारा आंगनवाडी केन्द्र के भवन निर्माण के लिए भूमि दान/निर्मित भवन दान करना, भूमि पर भवन निर्माण करवाया जा सकता है जिस पर दानदाता के नाम का शिला पट्ट लगाया जा सकता है एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।
5.	प्रतिरक्षण एवं स्वास्थ्य जॉच	प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्रों पर माह में एक बार निश्चित गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कार्मिक एएनएम आदि उपस्थित होकर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार प्रतिरक्षण सेवाएँ दी जाती है।	गर्भवती महिलाओं की गर्भधारण से लेकर प्रसव तक जॉच की जाती है एवं बच्चों एवं महिलाओं को आवश्यकतानुसार टीके, पोलियो, बीसीजी, डीपीटी आदि की दवा पिलाई जाती है।